भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3402

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण

3402. **श्री तमिलसेल्वन थंगाः**
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सरकारी प्रतिष्ठानों में अनाथ बच्चों के लिए 5% पद आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार सभी अनाथ बच्चों को जैविक माता-पिता वाले बच्चों के समान स्वस्थ पालन-पोषण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और उन्हें समाज में योगदान देने वाला एक सम्मानित वयस्क बनाने के लिए शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015), 2021 में यथा संशोधित, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विधि के साथ संघर्ष वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण

सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून है। यह उनकी बुनियादी आवश्यकताओं, देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण को पूरा करता है। यह अधिनियम राज्य और जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाओं की स्थापना करता है जिनमें राज्य बाल संरक्षण समितियां, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। यह बाल देखभाल संस्थानों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) की धारा 27-30 में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) का प्रावधान है, जिन्हें अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। सीडब्ल्यूसी को सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 04-09 में किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान है, जिन्हें विधि के साथ संघर्ष वाले बच्चों के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना संस्थागत देखभाल, गैर-संस्थागत देखभाल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत समर्थित बाल देखभाल संस्थानों और बच्चों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण के संबंध में श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ. गणपथी राजकुमार पी द्वारा 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3402 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत सहायता प्राप्त बाल देखभाल संस्थानों और बच्चों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25 के दौरान वित्त पोषित बाल देखभाल संस्थानों की संख्या	2024-25 के दौरान सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	98	2152
2	अरुणाचल प्रदेश	11	420
3	असम	58	1615
4	बिहार	91	2958
5	छत्तीसगढ़	105	1876
6	गोवा	23	519
7	गुजरात	81	2393
8	हरियाणा	31	946
9	हिमाचल प्रदेश	48	1390
10	जम्मू और कश्मीर	62	1385
11	झारखंड	46	1995
12	कर्नाटक	127	4587
13	केरल	45	1345
14	मध्य प्रदेश	102	2303
15	महाराष्ट्र	107	3667
16	मणिपुर	87	2296
17	मेघालय	53	990
18	मिजोरम	66	1348
19	नागालैंड	57	621
20	ओडिशा	142	4627
21	पंजाब	26	506
22	राजस्थान	140	3958
23	सिक्किम	27	660
24	तमिलनाडु	313	12438

25	तेलंगाना	67	2485
26	त्रिपुरा	31	1085
27	उत्तर प्रदेश	164	5420
28	उत्तराखंड	44	868
29	पश्चिम बंगाल	207	7615
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	263
31	चंडीगढ़	9	344
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4	64
33	लद्दाख	9	77
34	लक्षद्वीप	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	39	1012
36	पुद्दुचेरी	29	654
	कुल	2559	76882

*****